राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
''वित्त भवन'' जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)
क्रमांकः– एफ.3 (ख) (ए–डीजीएस / 1157)अलेसे– ।। / दिनांक :–

कार्यालय आदेश

श्री आनन्द मोहन सक्सैना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II (लिंक नं. 1157 / डीजीएस) का इस विभाग के आदेश संख्या 208 / 2017–18 दिनांक 06.11.2017 के द्वारा निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर में पदस्थापन किया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 1182 दिनांक 22.02.2018 के अनुसार श्री सक्सैना द्वारा दिनांक 16.11.2017 को उपस्थिति दी गई है लेकिन श्री सक्सैना दिनांक 22.11.2017 से लगातार बिना किसी सूचना एवं बिना अवकाश स्वीकृत कराये कार्यालय से अनुपस्थित चल रहे है।

श्री सक्सैना की निजी पत्रावली के अनुसार श्री सक्सैना वाणिज्यिक कर विभाग में पदस्थापन अवधि के दौरान दिनांक 23.04.2012 से 04.05.2012, 09.05.2012 से 11.05.2012, 21.05.2012 से 31.05.2012, 11.06.2012 से 15.06.2012, 25.06.2012 से 27.07.2012, 23–24–5–13, 31.05.2013 से 14.06.2013 एवं 24.06.2013 से 06.08.2014 तक (बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश का उपभोग करने, राजकार्य में सहयोग एवं रूचि नहीं रखने के कारण दिनांक 06.08.2014 को कार्यमुक्त किये गये) लगातार अनुपस्थित रहे हैं, जिसके संबंध में श्री सक्सैना को इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1755–1758 दिनांक 20.09.2016 द्वारा सीसीए नियम, 17 में आरोप पत्र जारी कर 15 दिवस की अवधि में लिखित कथन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

कोषाधिकारी (पेंशन), जयपुर के आदेश क्रमांक 13778–81 दिनांक 17.12.2014 के अनुसार श्री सक्सैना द्वारा उनके यहॉ दिनांक 10.09.2014 को उपस्थिति दी गई तथा दिनांक 05.11.2014 से निरन्तर बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहे है। कार्य के प्रति रूचि नहीं होने, कार्यालय के कार्य के प्रति कोई योगदान एवं सहयोग नहीं होने के कारण श्री सक्सैना को कार्यमुक्त कर निदेशालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया।

निरीक्षण विभाग में पदस्थापन के दौरान श्री सक्सैना दिनांक 03.07.2015 से 25.01.2016 एवं 19.02.2016 से 22.08.2016 तक (स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 22.08.2016 को कार्यमुक्त किया गया) कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहे हैं। जिसके कारण इस निदेशालय के ज्ञापन संख्या 1982–83 दिनांक 23.12.2016 के द्वारा सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस की अवधि में लिखित कथन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु श्री सक्सेना द्वारा उक्त आरोप पत्रों का कोई उत्तर प्रेषित नहीं किया गया है।

निरीक्षण विभाग द्वारा श्री सक्सैना को दिनांक 22.08.2016 को निदेशालय में उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त किया था किन्तु श्री सक्सैना द्वारा इस निदेशालय में उपस्थिति नहीं दी गई। अतः निदेशालय के पत्र क्रमांक 1271 दिनांक 19.09.2017 द्वारा निदेशालय में उपस्थिति देने तथा अनुपस्थिति के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 7 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। किन्तु श्री सक्सैना न तो निदेशालय में उपस्थित हुए और ना ही उनके द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया। अतः

निदेशालय की विज्ञप्ति क्रमांक 1431 दिनांक 10.10.2017 द्वारा श्री सक्सैना को 15 दिवस में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके क्रम में श्री सक्सैना द्वारा दिनांक 23.10.2017 को निदेशालय को उपस्थिति दी गई। किन्तु उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। निदेशालय के पत्र क्रमांक 1829–1831 दिनांक 06.11.2017 द्वारा आरोप पत्रों का जवाब एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। निदेशालय के पत्र क्रमांक 1958 दिनांक 21.11.2017 को पुनः स्मरण कराया गया किन्तु श्री सक्सैना द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

श्री सक्सैना को जारी सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्रों के क्रम में कोषाधिकारी, जयपुर (ग्रामीण) को निदेशालय के आदेश क्रमांक 573–577 दिनांक 12.10.2017 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया किन्तु श्री सक्सैना उक्त जांच अधिकारी द्वारा बार–बार लिखे जाने के उपरांत भी जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

श्री सक्सैना वर्तमान पदस्थापन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर से दिनांक 22.11.2017 से लगातार बिना कोई सूचना एवं अवकाश स्वीकृत कराए बिना ही कार्यालय से अनुपस्थित चल रहें है तथा उपरोक्त विवरण से भी स्पष्ट होता है कि श्री सक्सैना लंबी अवधि से अपने कर्त्तव्य से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के आदी हैं। अतः राजस्थान सेवा नियम के नियम 86 के अन्तर्गत बिना अवकाश स्वीकृत कराये तथा बिना किसी सूचना के कर्त्तव्य से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने से इनकी सेवा में व्यवधान मानते हुए इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व के समस्त सेवाकाल को जब्त किया जाता है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (ए–डीजीएस / 1157)अलेसे– ।। / 31
दिनांक :– 11-4-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, निरीक्षण विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
5. कोषाधिकारी जयपुर (ग्रामीण)।
6. श्री आनन्द मोहन सक्सेना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II पता मं. नं. 1185, ज्ञान गली, चाणक्य मार्ग, सुभाष चौक, जयपुर पिन कोड नं. 302003 (रजिस्टर्ड)
7. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में Updation करने हेतु।
8. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
9. पदस्थापन सीट।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)